रेफरेन्स / टी.ए. / 5269 / 2003 / बीकानेर
सरकार बनाम अणची

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री विजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीया बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 01.02.2019**

यह रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर के रेफरेन्स प्रकरण संख्या 111 / 96 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 29–9–2003 के संदर्भ में पेश किया गया है।

अप्रार्थीया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया जाकर अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीया को चक 21 के.वाई.डी. के मु.नं. 119 / 10 में 25 बीघा भूमि आवंटित थी। इस मुरब्बे में से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक में 2.10 बीघा भूमि अवाप्त हो जाने पर अप्रार्थीया ने सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बदले में दूसरा रकबा दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ ने अपने आदेश दिनांक 2–8–87 द्वारा चक 32 के वाई डी के मु.नं. 179 / 58 में कि.नं. 21 से 25 = 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि एवज में स्वीकृत कर दी। उनका कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना एफ 22 / उप / 77 / दिनांक 31–7–80 के अनुसार लोकहित में रास्ते सडक इत्यादि में आने वाली भूमि पर कॉलोनी शर्तो के तहत आरक्षित या अधिगृहित होने की दशा में भू राजस्व व अन्य देय प्रभार ही कम किये जावेंगे, विनिमय में अन्य भूमि देय नहीं होती है। किन्तु इसके बावजूद सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बनाई गई सडक के बदले नियम विरूद्ध दूसरी भूमि स्वीकृत की है। साथ ही विनिमय में दूसरी भूमि देने हेतु भूमिधारी तहसीलदार से कोई टिप्पणी / राय नहीं ली गई है। स्वीकृति आदेश में किसी भी नियम, जिसमें सडक में आई भूमि के बदले सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा अन्य भूमि दी जा सकती हो, का कोई हवाला नहीं है। राज्य सरकार के प्रथम स्टेज की भूमि में विनिमय स्वीकृति पर विशेष रूप से रोक लगा रखी थी। ऐसी स्थिति में सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ का आदेश दिनांक 2–8–87 विधि एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीया को चक 21 के.वाई.डी. के मु.नं. 119 / 10 में 25 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। उक्त भूमि में से 2.10 बीघा भूमि सडक में अवाप्त हो जाने पर अप्रार्थीया ने उक्त अवाप्तशुदा भूमि के बदले में दूसरा रकबा दिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सहायक उपनिवेशन आुयक्त, छत्तरगढ ने आदेश दिनांक 2–8–87 द्वारा चक 32 के वाई डी के मु.नं. 179 / 58 में कि.नं. 21 से 25 में 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि एवज में स्वीकृत कर दी। इस संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना एफ 22 / उप / 77 / दिनांक 31–7–80 के अनुसार लोकहित में रास्ते, सडक इत्यादि में आने वाली भूमि पर कॉलोनी शर्तो के तहत आरक्षित या अधिगृहित होने की दशा में भू राजस्व व अन्य देय प्रभार ही कम किये जावेंगे, विनिमय में अन्य भूमि देय नहीं होगी। किन्तु सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ ने आक्षेपित आदेश द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बनाई गई सडक के बदले अप्रार्थीया को दूसरी भूमि स्वीकृत कर दी, जो नियम एवं विधि विरूद्ध है। साथ ही विनिमय में दूसरी भूमि देने हेतु भूमिधारी तहसीलदार से कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	टिप्पणी / राय भी नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में यह रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–87 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	